

अधीन सूचना
9/3/21

प्रेषक,

जनसूचना / रजिस्टर्ड
संख्या-1067 पी0पी0 / 26-30 / 2021

क.स. 2

डा0 राजीव श्रीवास्तव
जनसूचना अधिकारी / उपराज्य मद्यनिषेध अधिकारी उ0प्र0
807 जवाहरभवन अशोक मार्ग
लखनऊ।

सेवा में

- 1-जनसूचना अधिकारी / क्षेत्रीय मद्यनिषेध एवं समाजोत्थान अधिकारी 27 अशोक मार्ग लखनऊ।
- 2-जनसूचना अधिकारी / क्षेत्रीय मद्यनिषेध एवं समाजोत्थान अधिकारी 57 ए साकेत मेरठ
- 3-जनसूचना अधिकारी / क्षेत्रीय मद्यनिषेध एवं समाजोत्थान अधिकारी बी 74 जिगर कालोनी मुरादाबाद।

मद्यनिषेध विभाग

लखनऊ दिनांक 9 मार्च 2021

विषय:- जनसूचना अधिकार अधिनियम के तहत सूचना दिये जाने के संबंध में

महोदय,

श्री [REDACTED]

[REDACTED] (पंजीकरण संख्या-66) जिसके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा-6 (1)(ख) के अधीन सूचना मांगी जा रही है, प्राप्त करने का कष्ट करें।

उपर्युक्त आवेदन आपको अंतरित किया जा रहा है क्यों कि मांगी गयी सूचना-1 से 3 की विषयवस्तु आपके कार्यालय के क्षेत्राधिकार में पडती है। अतः आवेदक द्वारा मांगी गयी सूचना के संबंध में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

यह प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक ने उक्त अधिनियम के अधीन सूचना प्राप्त करने के लिए रू0 10.00 (रू0 दस मात्र) फीस के रूप में भुगतान किया है जिसे सरकारी लेखा में जमा कर दिया गया है। फोटो प्रति उपलब्ध कराने हेतु कोई धनराशि उपलब्ध नहीं करायी गयी है। अतः नियमानुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय

[REDACTED]

(डा0 राजीव श्रीवास्तव)
जनसूचना अधिकारी /
उपराज्य मद्यनिषेध अधिकारी
उत्तर प्रदेश।

फोन नं0-0522-2286664

30/40
23/3/21

जनसूचना / रजिस्टर्ड
संख्या-1207 पी0पी0 / 26-30 / 2021

23/3/21

प्रेषक,

डा0 राजीव श्रीवास्तव
जनसूचना अधिकारी / उपराज्य मद्यनिषेध अधिकारी उ0प्र0
807 जवाहरभवन अशोक मार्ग
लखनऊ।

सेवा में

- 1-जनसूचना अधिकारी / क्षेत्रीय मद्यनिषेध एवं समाजोत्थान अधिकारी 27 अशोक मार्ग लखनऊ।
- 2-जनसूचना अधिकारी / क्षेत्रीय मद्यनिषेध एवं समाजोत्थान अधिकारी 57 ए. साकेत मेरठ
- 3-जनसूचना अधिकारी / क्षेत्रीय मद्यनिषेध एवं समाजोत्थान अधिकारी बी 74 जिगर कालोनी मुरादाबाद।

मद्यनिषेध विभाग

लखनऊ दिनांक 23 मार्च 2021

विषय:- जनसूचना अधिकार अधिनियम के तहत सूचना दिये जाने के संबंध में

महोदय,

श्री

[REDACTED]
[REDACTED] (पंजीकरण संख्या-[REDACTED]) जिसके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा-6 (1)(ख) के अधीन सूचना मांगी जा गयी थी उक्त आवेदन आपको अंतरित किया गया था क्यों कि मांगी गयी सूचना-1 से 3 की विषयवस्तु आपके कार्यालय के क्षेत्राधिकार में पडती है। अतः कार्यवाही से अभी तक अवगत नहीं कराया गया है। अतः आवेदक को सूचना देने का कष्ट करें तथा कृत कार्यवाही से अवगत करायें।

भवदीय

23/3/21

(डा0 राजीव श्रीवास्तव)
जनसूचना अधिकारी /
उपराज्य मद्यनिषेध अधिकारी
उत्तर प्रदेश।

फोन नं0-0522-2286664

23/3/21

23/3/21

सं-1281 पी.पी.०/२६
कॉ.०५

प्रेषक,

जन सूचना अधिकारी/क्षेत्रीय मद्यनिषेध
एवं समाजोत्थान अधिकारी, लखनऊ क्षेत्र।

सेवा में,

उपराज्य मद्यनिषेध अधिकारी, उ०प्र०/
जनसूचना अधिकारी मुख्यालय
807, जवाहर भवन, अशोक मार्ग, लखनऊ।

संख्या : १७८ म०स०ल०/२०२०-२१/लखनऊ

दिनांक : २५ मार्च, २०२१

विषय : जनसूचना अधिकार अधिनियम के तहत सूचना दिये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र सं० : 1207 पी०पी०/२६-३०/२०२१ दिनांक: २३ मार्च, २०२१ के संबंध में सानुरोध अवगत कराना है कि आवेदक द्वारा अपने पत्र दि०: २३/०३/२१ के माध्यम से अवगत कराया है कि प्रश्नगत प्रकरण में उसके पत्र दि०: ०४/०३/२१ द्वारा अपेक्षित सूचना अब उसे नहीं चाहिये। पत्र की छायाप्रति अवलोकनार्थ संलग्न है। अतः आवेदक को उसके किये गये अनुरोधानुसार सूचना नहीं प्रेषित की जा रही है।
संलग्नक-यथोक्त।

३०२०
२२
२५/३/२१

भवदीय

(जलज मिश्र)

जन सूचना अधिकारी/क्षेत्रीय मद्यनिषेध
एवं समाजोत्थान अधिकारी, लखनऊ क्षेत्र

सं. 1334 वी. वी. मं
प्रसं 30/2021
क्रसं 6

प्रेषक

क्षेत्रीय मद्यनिषेध एवं समाजोत्थान अधिकारी
मेरठ क्षेत्र मेरठ।

सेवा में

जनसूचना अधिकारी/उपराज्य मद्यनिषेध अधिकारी उ० प्र०
807 जवाहर भवन अशोक मार्ग
लखनऊ।

संख्या 97 पी०एस०एम०/2020-21 मेरठ

दिनांक 27 मार्च 2021

विषय- जनसूचना अधिकार अधिनियम के तहत सूचना दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र सं० 1207 पी०पी०/26-30/2021 दिनांक 23 मार्च 2021 व
1067 पी०पी०/26-30/2021 दिनांक 09 मार्च 2021 के सन्दर्भ में निवेदन सहित अवगत कराना है
कि श्री [REDACTED]

[REDACTED] अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 04/03/2021 के
सम्बन्ध में दिनांक 23 मार्च 2021 के प्रार्थना पत्र जो आपको सम्बोधित तथा अधोहस्ताक्षरी को
पृष्ठांकित है के द्वारा अवगत कराया है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में कोई भी सूचना/प्रमाणित प्रति
नहीं चाहिये। उक्त के सम्बन्ध में श्री [REDACTED] से फोन से वार्ता भी हुई है।

सूचना आपकी सेवा में सादर प्रेषित है।

भवदीय

[REDACTED]
27/3/2021

जनसूचना अधिकारी/

क्षेत्रीय मद्यनिषेध एवं समाजोत्थान अधिकारी
मेरठ क्षेत्र मेरठ

35
का
5-4-204
10/11/20
2
5/4/21

सं. 1360 अ. अ. अ. अ.
परि. 30/2021
कर. 7

प्रेषक

क्षेत्रीय मद्यनिषेध एवं समाजोत्थान अधिकारी
मुरादाबाद क्षेत्र मुरादाबाद।

सेवा में

जनसूचना अधिकारी / उपराज्य मद्यनिषेध अधिकारी उ० प्र०
807 जवाहर भवन अशोक मार्ग
लखनऊ।

संख्या/१९४ एम०पी० / 2020-21 मुरादाबाद

दिनांक 27 मार्च 2021

विषय- जनसूचना अधिकार अधिनियम के तहत सूचना दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र सं० 1207 पी०पी० / 26-30 / 2021 दिनांक 23 मार्च 2021 व
1067 पी०पी० / 26-30 / 2021 दिनांक 09 मार्च 2021 के सन्दर्भ में निवेदन सहित अवगत कराना है
कि श्री [REDACTED] ने अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 04/03/2021 के
सम्बन्ध में दिनांक 23 मार्च 2021 के प्रार्थना पत्र जो आपको सम्बोधित तथा अधोहस्ताक्षरी को
पृष्ठांकित है के द्वारा अवगत कराया है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में कोई भी सूचना / प्रमाणित प्रति
नहीं चाहिये। उक्त के सम्बन्ध में श्री [REDACTED] से फोन से वार्ता भी हुई है।
सूचना आपकी सेवा में सादर प्रेषित है।

भवदीय

[REDACTED] 27/03/2021

जनसूचना अधिकारी /

क्षेत्रीय मद्यनिषेध एवं समाजोत्थान अधिकारी
मुरादाबाद क्षेत्र मुरादाबाद

55
5-4-2021
140/1000
2
5/4/21